


61



PBR | निगमनी | मदसोर | १५-२१/२०१७/१९६८
१५-२१

महाराष्ट्र विधान सभा के लिए शपथ मंडल उपायी
केन्द्र उपायी (MP)

RM

विधायक वाई — पांडी

१४.

सुराजनाथ — विधायी

पांडी वाई अधिकारी विधायक मंडल मदसोर विधान
निगमनी वापस लोटाये जाने से इस वार्तालय
में प्रस्तुती वाचन

माननीय शत्रुघ्नी,

विधायक विधायी हैं, ललाजी उमरावा
निगमनी १५-२१/२०१५-१६ वार्तालय ३१-३-१७
के आदेश से वापस लोटायी गई है तथा उक्त वार्ता-
लय में प्रस्तुत वार्ता ट्रैक ली गई है। जो कि ज्ञात
विधायक वाई आदेश विधायी ३१-३-१७ की पुस्तिकृत
विधायी ४/५/१७ को प्राप्त कुई ही इस वार्तालय पर निगमनी
वापस लोटायी गई वार्तालय के बारे में है।

३

ज्ञातः विधायक वाई निगमनी विधायी की
वापस लोटायी वार्तालय के बारे में है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुमति आदेश पृष्ठ

प्रकरण नं. - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1968

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गनेश कुमावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	



प्रशासकीय सदस्य